पति और पत्नी के अधिकार

﴿ ما هي حقوق الزوج والزوجة؟ ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ ما هي حقوق الزوج والزوجة؟ ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पति और पत्नी के अधिकार क्या हैं?

प्रश्नः

किताब और सुन्नत के अनुसार पत्नी के उस के पति के ऊपर क्या अधिकार हैं ? या दूसरे अर्थ में पति की अपनी पत्नी के प्रति क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और उस के विप्रीत पत्नी की अपने पति के प्रति क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

इस्लाम ने पति के ऊपर उस की पत्नी के प्रति कुछ अधिकार अनिवार्य किये हैं, और इसी तरह इस के विपरीत पत्नी के ऊपर भी उस के पति के प्रति कुछ अधिकार अनिवार्य किये हैं, और उन अनिवार्य अधिकारों में से कुछ पति और पत्नी के बीच संयुक्त हैं।

हम - अल्लाह की शक्ति से - किताब और सुन्नत में वर्णित पति और पत्नी के एक दूसरे पर अनिवार्य अधिकारों से सम्बंधित बातों का विद्वानों की व्याख्याओं (टिप्पणियों) और कथनों के प्रकाश में उल्लेख करेंगे।

सर्व प्रथम :

पत्नी के विशिष्ट अधिकार :

पत्नी के लिए उस के पति के ऊपर कुछ वित्तीय अधिकार हैं और वे : महर, भरण पोषण, और आवास हैं।

तथा कुछ गैर वित्तीय अधिकार हैं : जैसे कि पत्नियों के बीच बराबरी करना, भलाई के साथ रहन सहन करना, पत्नी को हानि न पहुँचाना।

१- वित्तीय अधिकार :

(क)- मह्र : इस से अभिप्राय वह धन है जिस का पत्नी अपने पति के ऊपर उस का उस के साथ विवाह करने या उस के पास जाने (मिलने) पर अधिकार रखती है, यह महिला का पुरूष के ऊपर एक अनिवार्य अधिकार है, अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: ٤]

"और महिलाओं को उनके मह्र प्रसन्नता से दे दो।" (सूरतुन्निसा : ४)

मह्र के नियम निर्माण में इस गठबंधन (विवाह) के महत्व और उस के स्थान का प्रदर्शन, तथा महिला को सम्मान देना और उस को प्रतिष्ठा प्रदान करना है।

जम्हूर फुक़हा (धर्म शास्त्रियों की बहुमत) के निकट मह्र का होना विवाह के अन्दर कोई शर्त या रूक्न (स्तंभ) नहीं है, बल्कि वह उस (विवाह) पर निष्कर्षित होने वाले परिणामों (प्रभावों) में से एक प्रभाव (परिणाम) है। अगर बिना मह्र के निर्धारित किये हुये विवाह संपन्न हो जाता है तो जमहूर विद्वानों की सर्व

सहमति के साथ वह विवाह शुद्ध और सही है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]

"तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है यदि तुम ने औरतों को उन्हें छूने से पूर्व या उन के लिए मह्र निर्धारित करने से पहले तलाक़ दे दिया है।" (सूरतुल बक़रा : २३६)

चुनाँचि औरत को छूने से पहले और मह्र निर्धारित करने से पहले तलाक़ का जाइज़ होना विवाह में मह्र निर्धारित न करने की वैधता पर दलालत करता है।

यदि शादी के अन्दर उसे निर्धारित कर दिया गया है तो वह पति पर अनिवार्य हो गई, और अगर उसे निर्धारित नहीं किया गया है तो उस पर "समान" मह्र (मह्रे मिस्ल) अनिवार्य होगी - अर्थात उस के समान अन्य महिलाओं की जो मह्र है उसी के समान उस की भी मह्र होगी -।

(ख)- भरण पोषण (खर्च) : इस्लाम के विद्वानों की इस बात पर सर्व सम्मति है कि पत्नियों का खर्च उन के पतियों पर अनिवार्य है इस शर्त के साथ कि औरत अपने आप को अपने पति के वश

में कर दे, यदि वह इस से उपेक्षा करती है, या अवहेलना करती है तो खर्च का अधिकार नहीं रखती है।

उस के लिए खर्च के अनिवार्य होने की तत्वदर्शिता (हिक्मत) यह है कि : विवाह के बंधन के अनुसार महिला अपने पति के साथ बंधी होती है, उस के लिए पति की अनुमति के बिना जीविका कमाने के लिए पति के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है, अतः उस (पति) पर अनिवार्य है कि वह उस (पत्नी) के ऊपर खर्च करे, और उसे पर्याप्त खर्च दे, इसी प्रकार यह (पति के) उस से लाभ उठाने और (पत्नी के) उस के लिए अपने आप को समर्पित कर देने के बदले में भी है।

भरण पोषण (खर्च) से अभिप्राय यह है कि : पत्नी के लिए उस की आवश्यकता के अनुसार खाने और आवास का प्रबंध किया जाये, चुनाँचि उस के लिए ये चीज़ें अनिवार्य हैं भले ही वह धनी ही क्यों न हो, इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

"और जिस के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है अर्थात पिता पर परंपरागत उन की रोज़ी और उन का कपड़ा अनिवार्य है।" (सूरतुल बक़रा : २३३)

तथा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फरमान है :

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ ﴾ [الطلاق: ٧]

"कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर उस की रोज़ी की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है उसी में से (अपनी शक्ति के अनुसार) खर्च करे, किसी व्यक्ति को अल्लाह तआला तकलीफ नहीं देता किन्तु उतनी ही जितनी उसे शकित दे रखी है।" (सूरतुत्तलाक़ : ७)

तथा सुन्नत (हदीस) में है कि :

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू सुफयान की पत्नी हिन्द बिन्त उत्बा से - जबकि उन्हों ने अबू सुफयान के उन के ऊपर खर्च न करने की शिकायत की थी - फरमाया : "तुम

हिसाब से (परंपरागत) उतना माल निकाल लो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे लड़के के लिए काफी हो।"

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : अबू सुफयान की पत्नी हिन्द बिन्त उत्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई और कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! अबू सुफ्यान कंजूस आदमी हैं, वह मुझे इतना खर्च नहीं देते हैं जो मेरे लिए और मेरे लड़के के लिए काफी हो सिवाय इस के कि मैं उन की जानकारी के बिना (चुपके से) उन के माल में से निकाल लूँ। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि: "तुम हिसाब से (परंपरागत) उतना माल निकाल लो जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे लड़के के लिए काफी हो।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ५०४९, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १७१४)

तथा जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि : पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल वदाअ के खुत्बा (भाषण) में फरमाया : "तुम महिलाओं के बारे में अल्लाह तआला से डरो, क्योंकि तुम ने उन्हें अल्लाह के अमान

(अमानत) से लिया है, और उन की शरमगाहों को अल्लाह के कलिमा के द्वारा हलाल किया है, और तुम्हारा उन के ऊपर अधिकार यह है कि वे तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसे तुम नापसन्द करते हो, यदि वे ऐसा करती हैं तो तुम उन्हें मारो किन्तु कष्टदायक मार नहीं, और उन का तुम्हारे ऊपर अधिकार यह है कि तुम परंपरा के अनुसार उन की जीविका और कपड़े की व्यवस्था करो।" (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १२१८)

(ग)- आवास (मकान) : यह पत्नी के अधिकारों में से एक अधिकार है, इस से अभिप्राय यह है कि उस का पति उस के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार एक आवास की व्यवस्था करे, अल्लाह तआला का फरमान है : "तुम जहाँ अपनी क्षमता के अनुसार निवास करते हो उन्हें भी ठहराओ।" (सूरतुत्तलाक : ६)

२- गैर वित्तीय अधिकार :

(क)- पत्नियों के बीच न्याय और बराबरी करना : पत्नी का अपने पति के ऊपर यह अधिकार है कि वह न्याय से काम लेते

हुये उस के और उस के अलावा अपनी अन्य पत्नियों के बीच यदि उस की और भी पित्नयां हैं, निवास (रात गुज़ारने), खर्च और कपड़े में बराबरी करे।

(ख)- अच्छा रहन सहन : पति पर अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार और आचार को अच्छा रखे और उस के साथ आसानी और नरमी करे, और उस से जितना भी हो सकता है उसे उस चीज़ की पेशकश करे जिस से उस के दिल को तसल्ली मिले, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

"उन के साथ अच्छा रहन सहन रखो।" (सूरतुन्निसा : १९)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

"और उन (महिलाओं) के लिए परंपरा के अनुसार उसी के समान अधिकार हैं जिस तरह कि उन के ऊपर (पुरूषों के अधिकार) हैं।" (सूरतुल बक़रा : २२८)

तथा सुन्नत (हदीस) में : अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया : "महिलाओं के बारे में (भलाई की) मेरी वसीयत को स्वीकार करो।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ३१५३, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १४६८)

ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अपनी पत्नियों के साथ अच्छे रहन सहन के कुछ नमूने हैं - और आप ही आदर्श और नमूना हैं- :

१- ज़ैनब बिन्त अबू सलमा से वर्णित है कि उन्हों ने बयान किया कि उम्मे सलमा ने कहा कि मुझे मासिक धर्म आ गया जबकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ चादर में थी, तो मैं चुपके से खिसक कर उस से बाहर निकल गई और अपने मासिक धर्म के कपड़े लेकर पहन लिया, तो मुझ से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा : क्या तुझे मासिक धर्म आ गया है ? मैं ने कहा कि : हां, तो आप ने मुझे बुलाया और अपने साथ चादर के अन्दर कर लिया।

तथा वह कहती हैं कि : और उन्हों ने मुझ से वर्णन किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें चुंबन करते थे जबकि वह रोज़ा से होते थे, तथा मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम एक ही बर्तन से जनाबत (अशुद्धता) का स्नान करते थे। (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ३१६, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : २९६)

२- उरवा बिन ज़ुबैर से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया : अल्लाह की क़सम! मैं ने अल्लाह के पैंगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा है कि आप मेरे कमरा के दरवाज़े पर खड़े होते थे जबकि हब्शी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में अपने भालों के साथ खेलते थे, आप मुझे अपनी चादर से छुपाये रखते थे ताकि मैं उन के खेल को देख सकूं, फिर आप मेरे कारण खड़े रहते थे यहाँ तक कि मैं ही (वापस) पलटती थी, तो अनुमान लगाओ कि किशोर आयु की लड़की खेल का कितना उत्सुक होती है। (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ४३३, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : ८९२)

३- उम्मुल मोमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे चुनाँचि आप बैठे हुये क़िराअत करते थे, फिर जब आप

की क़िराअत से लगभग तीस या चालीस आयत बाक़ी रह जाती थी तो आप खड़े हो जाते थे और उन्हें खड़े हुए पढ़ते थे, फिर आप रूकूअ़ में जाते फिर सज्दा करते, दूसरी रकअत में भी उसी तरह करते थे, जब आप अपनी नमाज़ पूरी कर लेते तो देखते, यदि मैं जाग रही होती थी तो मेरे साथ बात चीत करते और अगर मैं सोई होती थी तो लेट जाते थे। (सहीह बुखारी हदीस संख्या : १०६८)

(ग)- पत्नी को कोई नुक़सान न पहुँचाना : यह इस्लाम के मूल सिद्धान्तों में से है, जब किसी अजनबी को नुक़सान पहुँचाना हराम है तो फिर बीवी को नुक़सान पहुँचाना तो हराम होने के अधिक योग्य है।

उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फैसला फरमाया कि "कोई नुक़सान नहीं है और न ही एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना ही है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है (हदीस संख्या : २३४०) इस हदीस को इमाम हाकिम, अहमद और

इब्नुस्सलाह वगैरा ने सहीह कहा है। देखिये : "खुलासतुल बदरिल मुनीर" (२/४३८)

इस विषय में शरीअत ने जिन चीज़ों पर चेतावनी दी है उन में से एक यह है कि : कष्दायक मार मारना जाइज़ नहीं है।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "हज्जतुल वदाअ" के खुत्बा (भाषण) में फरमाया : "तुम महिलाओं के बारे में अल्लाह तआला से डरो, क्योंकि तुम ने उन्हें अल्लाह के अमान (अमानत) से लिया है, और उन की शरमगाहों को अल्लाह के कलिमा के द्वारा हलाल किया है, और तुम्हारा उन के ऊपर अधिकार यह है कि वे तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसे तुम नापसन्द करते हो, यदि वे ऐसा करती हैं तो तुम उन्हें मारो किन्तु कष्टदायक मार नहीं, और उन का तुम्हारे ऊपर अधिकार यह है कि तुम परंपरा के अनुसार उन की जीविका और कपड़े की व्यवस्था करो।" (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १२१८)

दूसरा :

पत्नी के ऊपर पति के अधिकार :

पत्नी के ऊपर पति के अधिकार सब से बड़े अधिकारों में से है, बल्कि पति का अधिकार पत्नी के ऊपर पत्नी के पति के ऊपर अधिकार से कहीं बढ़ कर है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

"और उन (महिलाओं) के लिए परंपरा के अनुसार उसी के समान अधिकार हैं जिस तरह कि उन के ऊपर (पुरूषों के अधिकार) हैं, और पुरूषों को उन (महिलाओं) के ऊपर दर्जा प्राप्त है।" (सूरतुल बक़रा : २२८)

जस्सास कहते हैं कि : अल्लाह तआला ने इस आयत में यह सूचना दी है कि पति पत्नी में से प्रत्येक को अपने साथी पर अधिकार प्राप्त है, और यह कि पति को उस की पत्नी के ऊपर एक ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त है जो पत्नी के लिए उस के पति के ऊपर प्राप्त नहीं है।

तथा इब्नुल अरबी कहते हैं कि : यह इस बात का मौलिक प्रमाण है कि उस (पति) को उस पर प्रतिष्ठा और विवाह के अधिकारों में उस (पत्नी) के ऊपर प्राथमिकता हासिल है।

इन अधिकारों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क)- आज्ञाकारिता की अनिवार्यता : अल्लाह तआला ने पुरूष को स्त्री पर आदेश, मार्गदर्शन और देखभाल के साथ संरक्षक और निगरां बनाया है, जिस प्रकार कि शासक प्रजा की देख रेख करते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने पुरूष को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के साथ विशिष्ट किया है, और इसलिए भी कि अल्लाह तआला ने उस पर वित्तीय दायित्वों को अनिवार्य किया है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: ٣٤]

"पुरूष महिलाओं पर निरीक्षक हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर विशेषता दी है, और इस कारण कि पुरूषों ने अपना धन खर्च किया है।" (सूरतुन्निसा : ३४)

हाफिज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

और अली बिन तलहा ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णन किया कि ((पुरूष महिलाओं पर निरीक्षक हैं)) अर्थात् यह कि : उन पर हाकिम और शासक हैं, अर्थात् : वह उस चीज़ के अन्दर जिस का अल्लाह तआला ने उसे उस के आज्ञा पालन का आदेश दिया है उस का आज्ञा पालन करेगी, और उस का आज्ञा पालन यह है कि वह उस के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली हो उस के धन की रक्षा करने वाली हो। इसी तरह मुक़ातिल, सुद्दी और ज़ह्हाक ने भी कहा है। "तफसीर इब्ने कसीर" (१/४९२)

(ख)- पति को आनन्द लेने पर सक्षम करना : पति को अपनी पत्नी के ऊपर यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसे आनन्द लेने पर सक्षम बनाये, जब वह किसी महिला से विवाह करे और वह संभोग के लिये योग्य (सक्षम) हो तो उस के लिए अपने आप को विवाह के अनुबंध के कारण पति के हवाले करना अनिवार्य है अगर वह मांग करे, और वह इस प्रकार कि वह (पति) उसे उस की पेशगी मह्र भुगतान कर दे, और प्रथा के अनुसार उसे अपने मामले को सुधारने और संवारने के लिए एक अवधि जैसे

कि दो तीन दिन के लिए मोहलत दे दी जाये यदि वह इस की मांग करती है इसलिए कि यह उस की आवश्यकता में सम्मिलित है, और इसलिए भी कि यह एक साधारण अवधि है जो आम तौर पर चलती है।

अगर पत्नी संभोग के बारे में अपने पति की बात मानने से इंकार कर दे तो वह निषेद्ध (हराम) में पड़ गई, और उस ने एक महान पाप किया, सिवाय इस के कि उस के पस कोई धर्म सिद्ध उज़्र (बहाना) हो जैसे कि माहवारी, अनिवार्य रोज़ा, बीमारी और इस के समान चीज़ें।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जब आदमी अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह इंकार करे और उस का पति उस के ऊपर गुस्सा हो कर रात गुज़ारे तो सवेरे तक फरिश्ते उस पर लानत (धिक्कार) भेजते हैं।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ३०६५, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १४३६)

(ग)- जिस को पति नापसन्द करता है उसे घर में आने की अनुमति न देना : पति का अपनी पत्नी पर यह अधिकार भी है कि वह उस के घर में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश न करने दे जिसे वह नापसन्द करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "महिला के लिए इस स्थिति में रोज़ा रखना जाइज़ नहीं है कि उस का पति उपस्थित हो सिवाय इस के कि उस से अनुमति ले ले, तथा वह उस के घर में उस की अनुमति के बिना किसी को आने की अनुमति न दे . . .।" (सहीह बुखारी हदीस संख्या : ४८९९, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १०२६)

तथा सुलैमान बिन अम्र बिन अल-अहवस से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि मुझ से मेरे पिता ने वर्णन किया कि वह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हज्जतुल वदाअ में उपस्थित थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला की प्रशंसा और स्तुति की, और नसीहत और सदुपदेश किया फिर फरमाया : "महिलाओं के बारे में मेरी (भलाई की) वसीयत को स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे पास क़ैदियों की

तरह हैं, तुम उन से इस के अलावा किसी अन्य चीज़ के मालिक नहीं हो, सिवाय इस के कि वे स्पष्ट रूप से घोर पाप करें, यदि वे ऐसा करती हैं तो तुम उन्हें उन के बिस्तरों में छोड़ दो (अर्थात उन का बिस्तर अलग कर दो) और उन्हें मारो किन्तु कष्टदायक मार नहीं, अगर वे तुम्हारी बात मान लेती हैं, तो तुम उन पर रास्ता तलाश न करो। तथा तुम्हारी महिलाओं के ऊपर तुम्हारे हुक़ूक़ हैं और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी महिलाओं के हुक़ूक़ हैं, तुम्हारी महिलाओं पर तुम्हारा हक़ यह है कि वे तुम्हारे बिस्तरों पर उसे न बैठाएं जिसे तुम नापसन्द करते हो, और तुम्हारे घर में उसे आने की अनुमति न दें जिसे तुम पसन्द नहीं करते हो, खबरदार! और उन (पत्नियों) का तुमहारे ऊपर हक़ यह है कि उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ और अच्छा भोजन कराओ।" (इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : ११६३) ने रिवायत किया है और कहा है कि यह हसन सहीह हदीस है, तथा सुनन इब्ने माजा हदीस संख्या : १८१५)

तथा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया : "तुम महिलाओं के बारे में अल्लाह तआला से डरो, क्योंकि तुम ने उन्हें अल्लाह के अमान (अमानत) से लिया है, और उन की शरमगाहों को अल्लाह के कलिमा के द्वारा हलाल किया है, और तुम्हारा उन के ऊपर अधिकार यह है कि वे तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे व्यक्ति को न आने दें जिसे तुम नापसन्द करते हो, यदि वे ऐसा करती हैं तो तुम उन्हें मारो किन्तु कष्टदायक मार नहीं, और उन का तुम्हारे ऊपर अधिकार यह है कि तुम परंपरा के अनुसार उन की जीविका और कपड़े की व्यवस्था करो।" (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : १२१८)

(घ)- पति की अनुमति के बिना घर से बाहर न निकलना :

पति का अपनी पत्नी के ऊपर एक अधिकार यह भी है कि वह उस की अनुमति के बिना घर से बाहर न निकले, शाफेईय्या और हनाबिला का कथन है कि : उस के लिए पति की अनुमति के बिना अपने बीमार बाप की तीमारदारी के लिए निकलना जाइज़ नहीं है, और उसे उस से रोकने का अधिकार है . . .; क्योंकि पति का आज्ञा पालन करना अनिवार्य है, अत: अनिवार्य

चीज़ को किसी ऐसी चीज़ के कारण छोड़ देना जो वाजिब नहीं है, जाइज़ नहीं है।

(ङ)- अनुशासन : पति के लिए अपनी पत्नी को उस के किसी भलाई के आदेश को न मानने पर अनुशासित करना जाइज़ है, क्योंकि अल्लाह तआला ने महिलाओं को उन के आज्ञा पालन न करने की स्थिति में बिस्तर में छोड़ कर और हल्की मार के द्वारा अनुशासित करने का आदेश दिया है।

हनफिय्या ने चार स्थानों का उल्लेख किया है जिन में पति के लिए अपनी पत्नी को मार (पिटाई) के द्वारा अनुशासित करना जाइज़ है, और वे यह हैं :

पहला : श्रृंगार को परित्याग करना जबकि वह श्रृंगर का इच्छुक हो।

दूसरा : जब वह बिस्तर पर बुलाये और वह पवित्र होने के बावजूद उस के पास न आये।

तीसरा : नमाज़ छोड़ देना।

चौथा : उस की अनुमति के बिना घर से बाहर निकलना।

अनुशासन के वैध होने के कुछ प्रमाण निम्नलिखित हैं :

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ﴾ [النساء: ٣٤]

"और जिन महिलाओं की अवज्ञा का तुम्हे डर हो उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और उन्हें मार की सज़ा दो, फिर अगर वे तुम्हारी ताबेदारी करें तो उनपर कोई रास्ता तलाश न करो।" (सूरतुन्निसा : ३४)

तथा अल्लाह तआला का यह फरमान :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]

"ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस का ईंधन इंसान हैं और पत्थर।" (सूरतुत्तहरीम : ६)

हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं कि :

और क़तादा ने कहा : तुम उन्हें अल्लाह तआला के आज्ञा पालन का आदेश दो, और उन्हें अल्लाह तआला की अवज्ञा से रोको, तथा तुम उन पर अल्लाह के आदेश को क़ायम करो, और

उन्हें इस का हुक्म दो, और उस पर उन की सहायता करो, जब तुम अल्लाह की कोई अवज्ञा देखो तो उन्हें उस से रोको और मना करो।

इसी तरह ज़ह्हाक और मुक़ातिल ने भी कहा है कि : मुसलमान का अधिकार यह है कि वह अपने परिवार जैसे कि अपने रिश्तेदारों, अपनी लौण्डियों और अपने गुलामों को उस चीज़ की शिक्षा दे जो अल्लाह तआला ने उन पर अनिवार्य किया है और जिस चीज़ से रोका है।

"तफसीर इब्ने कसीर" (४/३९२)

(च)- पत्नी का अपने पति की सेवा करना : इस विषय में बहुत सारे प्रमाण हैं, जिन में से कुछ पीछे गुज़र चुके हैं।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

तथा परंपरा के अनुसार अपने पति की सेवा करना अनिवार्य है, और यह सेवा विभिन्न स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की हो सकती है, चुनांचि एक बदवी (खानाबदोश) महिला की सेवा एक गांव वाली महिला की सेवा की तरह नहीं है, तथा एक मज़बूत औरत की सेवा एक दुर्बल औरत की तरह नहीं है।

"अल-फतावा अल-कुब्रा" (४/५६१)

(छ)- महिला अपने आपको पति के हवाले कर दे : जब विवाह की शर्तें पूरी हो जायें और वह शुद्ध रूप से संपन्न हो जाये तो महिला पर अनिवार्य है कि वह अपने आपको पति के हवाले करदे और उसे अपने से आनन्द लेने पर सक्षम करदे ; क्योंकि विवाह के अनुबंध के द्वारा पति मुक़ाबिल के भुगतान किये जाने का अधिकार रखता है और वह उस से आनन्द लेना है, जिस तरह कि पत्नी मुक़ाबिल का अधिकार रखती है और वह महृ है।

(ज)- पत्नी का अपने पति के साथ परंपरा के अनुसार अच्छा रहन सहन करना : क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

"और उन (महिलाओं) के लिए परंपरा के अनुसार उसी के समान अधिकार हैं जिस तरह कि उन के ऊपर (पुरूषों के अधिकार) हैं।" (सूरतुल बक़रा : २२८)

अल्लामा क़ुर्तुबी कहते हैं :

और उन्हीं से -अर्थात इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से- यह भी वर्णित है कि : महिलाओं के लिए अपने पतियों पर अच्छी

संगत और परंपरा के अनुसार अच्छे रहन सहन का अधिकार प्राप्त है जिस तरह कि उन के ऊपर उस आज्ञा पालन का अधिकार है जिसे अल्लाह तआला ने उन के पतियों के लिए उन के ऊपर अनिवार्य कर दिया है।

और तबरी कहते हैं कि : महिलाओं के लिए उन के पतियों के ऊपर यह अधिकार है कि वे उन को नुक़सान न पहुँचायें जिस तरह कि यह उन के ऊपर उन के पतियों के लिए अनिवार्य है।

तथा इब्ने ज़ैद कहते हैं : तुम उन के बारे में अल्लाह तआला से डरो जिस तरह कि उन के ऊपर अनिवार्य है कि वे तुम्हारे बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरें।

और ये सभी अर्थ एक दूसरे के क़रीब हैं और आयत विवाह के उन सभी अधिकारों को सम्मिलित है।

"तफसीर क़ुर्तुबी" (३/१२३, १२४)

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल मुनज्जिद